न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर(राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 47/2017

1– देवाराम पुत्र घासीराम, जाति जाट, निवासी बाकलिया, तहसील लाडनूं, जिला नागौर राजस्थान।

.....अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार, लाडनूं तहसील लाडनूं, जिला नागौर राज0।

2–धर्माराम पुत्र घासीराम

3–सुन्दरराम पुत्र घासीराम

4–सहीराम पुत्र घासीराम,

5–थानाराम पुत्र घासीराम,

6–गोदावरी पत्नि घासीराम, समस्त जाति जाट निवासीयान बाकलिया, तहसील लाडनूं जिला नागौर, राजस्थान ।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री रणजीत बलारा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

2–श्री मो0 रफीक अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3,4 की ओर से ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर एल आर एक्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार लाडनूं के आदेश व निर्णय दिनांक 31.05.2017 को निरस्त करने बाबत।

निर्णय

दिनांक:14.09.21

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण सं0 59/2016 बअनुवान सरकार बनाम देवाराम में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2017 के विरूद्ध पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बाकलिया द्वारा इस आशय की बाद जॉच के भू–अभिलेख निरीक्षक निम्बी जोधा ने रिपोर्ट पेश कि है कि अप्रार्थीगण ने मौजा बाकलिया के खसरा संख्या 138 रकबा 0.02 बीघा किस्म गैर मुमकिन सड़क पर दिवार ,छपरा व पत्थर डालकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमन कर रखा है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है, पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/अपीलान्ट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 कि धारा 91 के हित जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/अपीलान्ट की और से अधिवक्ता छोगाराम बुरड़क ने वकालतनामा पेश किया । जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी देवाराम ने जवाब पेश कर जाहिर किया कि अप्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त का खेत सरहद बाकलिया में श्यामपुरा–बालसमंद रोड़ के दोनों तरफ आये हुये है,जिसमें खेत खसरा संख्या 141 रकबा 1.10 बीघा सड़क के उतर दिशा में तथा खसरा नम्बर 135 रकबा 14.15 बीघा दक्षिण दिशा में आया हुआ है। खातेदारी खेत खसरा नम्बर 141 में राज्य सरकार द्वारा किसानो के हित में चलायी गयी प्याज भण्डारण योजना के तहत सन् 2012 में प्याज भण्डारण संग्रहणा बाबत स्थायी रू॰ से छपरा का निर्माण किया गया है। उक्त खसरा संख्या 138 पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। पी.डब्ल्यू. डी. विभाग द्वारा जबरन अवैध रूप से अप्रार्थी/अपीलान्ट के खेत में सड़क अन्य स्थान से अधिक चौड़ी करने में लगे हुये है। इसी बाबत अप्रार्थी/अपीलान्ट ने श्रीमान जिला कलक्टर महोदय नागौर के यहॉ मुन्तकिल प्रार्थना पत्र आवेदन अधीन धारा 54 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय नागौर के न्यायालय के राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 87/2016 अनुवान देवाराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाड़नू के निर्णय दिनॉक 30.03.2017 के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना ठोस आधारों पर आधारित नहीं होने से खारिज किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो तथा पटवारी हल्का बाकलिया व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भलीभांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। जिससे अप्रार्थी/अपीलान्ट का सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाना बखुबी साबित होता है । मौजा बाकलिया खसरा संख्या 138 रकबा 2.02 बीघा किस्म गैर–मुमकिन सड़क पर दीवार, छपरा व पत्थर डालकर राजकीय भूमि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

पर अतिक्रमण किया है। अप्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का अल्लघंन है, जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है , अतः अप्रार्थीगण को अतिक्रमी माना जाकर उक्त खसरा संख्या 138 रकबा 0.02 बीघा किस्म गैर मुमकिन सड़क से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये, अप्रार्थी पर सम्वत् 2073 की वार्षिक लगान दर 0.45 के 50 गुणा से जुर्माना रूपये 3/– अक्षरे तीन रूपये कायम किया किये। अप्रार्थी से जुर्माना वसूली हेतु पटवारी हल्का, भौतिक रूप से बेदखल हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक एंव मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकर कार्यालय हाजा को तहरीर जारी की गयी।

{3}–अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की हैः–

{3}(1)–यह है कि लायक अदालत मातहत तहसीलदार लाडनूं द्वारा बिना अपीलार्थी को व उसके भाईयों को समुचित सुनवाई का अवसर दिये व बिना साक्ष्य दिये ही बाला बाला ही एक तरफा निर्णय पारित कर दिया, जो निर्णय व आदेश प्रथम दृष्टया ही अपास्त किया जाने योग्य है।

{3}(2) –यह है कि तहसीलदार लाड़नूं ने अपीलान्ट को खेत खसरा संख्या 138 रकाबा 0.02 बीघा गैर मूमकिन सड़क पर दिवार छपरा व पत्थर डालकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का नोटिस जारी किया है । जबकि पटवारी हल्का ने स्पष्ट रूप से तहसीलदार लाड़नू को लिखित में दिया है कि खसरा संख्या 138 पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं हैं इसके बावजुद अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा संख्या 138 से अपलान्ट को बेदखल किया जाने का आदेश पारित किया है। जो आदेश व निर्णय हास्यास्पद ही नहीं आश्चर्यजनक भी है। इस तथ्य की और ध्यान दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया जो प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। बाकलिया से श्यामपुरा जाने वाली जो प्रथम नयी सड़क बनी है, उस सड़क के उतर से चिपते ही खसरा संख्या 141 व 142 तथा इस सड़क के दक्षिण में खसरा संख्या 135 आया हुआ है। तथा खसरा संख्या 141 में अपीलान्ट का टेणो का छपरा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत प्याज भंण्डारण के अधिन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

वर्ष 2012 में सरकारी सहायता से बनाया हुआ है। तथा उस सहायता देने के समय उपनिदेषक कृषि एवं सचिव राष्ट्रीय बागवानी मिशन नागौर के कार्यालय में एक शपथ पत्र अपीलान्ट से लिया गया था ,जिसमें स्पष्ट रूप से यह शर्त थी कि प्याज भंण्डारण संरचना को खुर्द बुर्द नहीं किया जावेगा ,तथा इसी खसरा संख्या 141 में से अपीलान्ट ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को क्वार्टरस बनाने के लिए जमीन दी थी, जिसमें वर्ष 1983 में सरकार द्वारा क्वाटर्स बनाये हुये मौजुद है, हालॉकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व निर्णय खसरा संख्या 138 से बेदखल करने का है लेकिन मौके पर जाकर अधिकारी खसरा संख्या 141 में से छपरा व दिवार तोड़ने का कहते है। जो सरासर गैर कानूनी है। इस और अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान दिये बिना ही यह आदेश व निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त किया जाने योग्य है।

{3}(3) – यह है कि अपीलान्टस को दिये गये नोटिस में उस बात का भी उल्लेख नहीं है कि अतिक्रमण कितनी लम्बाई व चौड़ाई में किस प्रकार किया हुआ है। तथा खसरा संख्या 141 पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने का भी आरोप नहीं है,इसके बावजुद खसरा संख्या 141 में स्थित छपरा का अतिक्रमण मान रहे है। जो आश्चर्यजनक ही नहीं बल्कि हास्यास्पद है अपीलान्ट का खसरा संख्या 138 रकबा पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है , सार्वजनिक निर्माण विभाग जबरन अवैध रूप से अपीलान्ट के खेत में अधिक चौड़ी सड़क करने पर तुले हुये हे। उक्त सड़क अपीलान्ट के खेत को छोड़कर अन्य स्थान पर मात्र 24 फुट चौड़ाई में बनायी गयी है, जबकि अपीलान्ट के खेत खसरा सख्या 141 व 135 के मध्य 50–60 फुट चौड़ी सड़क बनायी है। इस प्रकार बिना किसी मुवावजा के अपीलान्ट के खेतो में से सड़क निकाल दी है राज्य सरकार की स्वीकृति से व राज्य सरकार की सहायता से खसरा संख्या 141 की भूमि में बने छपरे में अपीलान्टस के नाम से बिजली का कनेक्शन है तथा अपीलान्ट का मकान व चार दिवारी है, इन सब को तोड़कर सड़क निर्माण निर्माण किया जाता है तो उसका सम्पुर्ण मुवावजा दस लाख रूपये अपीलान्टस को दिया जाना न्यायोचित है, इन महत्वपूर्ण तथ्यों कि और ध्यान दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया, जो अपास्त किया जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3}(4) –यह है कि अपीलान्ट के खेत खसरा संख्या 141 में प्याज भंण्डारण का मकान बना होना पटवारी हल्का बाकलिया ने अपन प्रमाण पत्र दिनॉक 12.07.2012 में माना है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा संख्या 138 में छपरे का उल्लेख किया है, पटवारी हल्का ने मात्र सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक अधिकारी के कहने से बिना किसी विधिक रूप से नाप चौक किये, अवैधानिक तरिके से गलत नोटिस जारी किया गया है, तथा पटवारी हल्का ने सड़क का माप चौक भी पेश नहीं किया गया है, तथा सम्पुर्ण सड़क बनकर तैयार हो चुकी है, तथा एम.बी.भरी जाकर भुगतान हो चुका है, लेकिन सार्वजनिक विभाग के ताकतवर अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को परेशान करने की वजह से अधीनस्थ न्यायालय ने दबाव में आकर यह आदेश व निर्णय पारित किया है, जो अपास्त किया जाने योग्य हैं।

{3}(5) – यह है कि अपील अन्दर मयाद है, तथा श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है। तथा अपीलान्ट द्वारा दिनॉक 31.05.2017 को निर्णय कि नकल लेकर यह अपील पेश है।

{4}–उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 12.06.2017 को इस न्यायालय में पेश की गयी तथा अपीलान्ट की अपील दिनांक 12.06.2017 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु जरिये सुनवाई हेतु नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3,4 की ओर से श्री मो0 शरीफ अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 के नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड उनके पत्र क्रमांकःराजस्व/2017/788 दिनांक 22.06.2017 के द्वारा इस न्यायालय में प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किये गए।

{5}–अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 12.06.2017 को इस न्यायालय में पेश की गयी तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.05.2017 को हुआ था। अपील करने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

की मियाद निर्णय से या नकल लेने के बाद एक माह की होती है । अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद पेश की गयी है।

{6} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि उक्त खातेदारी सुदा खेत खसरा नम्बर 141 रकबा 1.10 बीघा में अप्रार्थीगण/अपीलान्ट का पक्का मकान बना है जो दासावार तक आया हुआ है जिसकी उंचाई 3–4 फुट के लगभग है, जिसमें अप्रार्थी/अपीलान्ट देवाराम के नाम से विधुत कनैक्शन लिया हुआ है। इसके अलावा इसी खसरा में राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई गयी प्याज भंडारण योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा सन् 2012 में प्याज भण्डारण संग्रहण बाबत स्थाई रूप से छप्परा का निर्माण किया गया है। जिसकी सरकारी लागत 99395/–रूपये है, जो हल्का पटवारी के अनुसार दी गई मौका रिपोर्ट के अनुसार बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा निर्मीत प्याज भण्डारण आज भी मौके पर मौजुद है तथा मौके पर प्याज भंडार संरक्षण बाबत निर्मित छप्परा बना हुआ है,जिसकी जानकारी तहसीलदार लाडनूं को भी अपीलान्ट/अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया है। तथा उक्त प्याज भण्डार तहसीलदार लाडनूं व पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर सही जगह पर अप्रार्थी/अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में बना। बिना किसी विधिक रूप से नाप चौक किये बिना अवैधानिक तरीके से अतिक्रमण की कार्यवाही अमल में लाई गयी है। अपीलान्ट/अप्रार्थी का राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ हैं । अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारीज करने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के तथ्यो की काट करते हुवे कथन किया है कि अपीलान्ट का सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ है जो पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

[7] – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का बाकलिया की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भू0अ0निरीक्षक द्वारा की गयी, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम बाककलिया के खसरा नम्बर 138 रकबा 0.02 बीघा किस्म गैर मु0 सड़क भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट स्वयं व उनके अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुवे तथा जवाब भी पेश किया,जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। इससे यह नही कहा जा सकता की अप्रार्थी/अपीलान्ट को सुना नहीं गया हो। पटवारी हल्का बाकलिया की रिपोर्ट दिनांक 12.12.2016 में स्पष्ट है कि मौजा बाकलिया (बाकलिया से श्यामपुरास सड़क) में ख0नं0 138,117 क्रमशः रकबा 11.16 बीघा,20.06 बीघा कुल रकबा 32.06 बीघा किस्म गै0मु0 सड़क खातेदारी सार्वजनिक निमार्ण विभाग की दर्ज है जिसकी चौड़ाई 15 गठ्ठा के लगभग है। इन खसरो पर पूर्व से निर्मित सड़क का पी.डब्लू.डी विभाग द्वारा चौड़ाईकरण का कार्य किया गया है। प्रार्थी देवाराम वगैरह द्वारा दिवार व छपरा न हटाने पर शिकायत की गई। आदेशानुसार मौका देखा गया, जॉच करने पर प्रार्थी देवाराम वगैरह द्वारा निर्मित दिवार व छपरा गै0 मु0 सड़क पर बना हुआ पाया गया। प्रार्थी देवाराम वगै0 ने छपरे का निर्माण सरकारी योजना से प्याज भण्डारण संग्रहण हेतु बनाया हुआ बताया गया है, इसके सम्बन्ध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार उपस्थित मौतबरान को पुछने पर छपरे का निर्माण सरकारी योजना से होना बताया है परन्तु वर्तमान में मौके पर प्याज भण्डार नहीं पाया गया। अतः उक्त ख0नं0 के रकबा 0.02 बीघा भूमि पर दीवार, छप्परा व पत्थर डालकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई गयी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी अतिक्रमण की कार्यवाही विधि सम्मत होने से कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

प्रश्नगत भूमि गैर मुमकिन सड़क की भूमि पर राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (vi) के अनुसार कोई खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। गै0 मु0 रास्ते की भूमि सार्वजनिक आवागमन होता है। गावों में लोग इन रास्तों से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अपने खेतों पर आना जाना, मवेशी ले जाना उनको वापस लाना तथा खेती की उपज, घास इत्यादि को लाना ले जाना करते है। अगर रास्ता बन्द होता है तो इन पर विपरित प्रभाव पडता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के अधिकार है। धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचार समझा जायेगा तथा उसे तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। अगर कब्जा पुराना है तो अपीलान्ट को अलग से कार्यवाही करनी होगी। हस्तगत प्रकरण में कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

:::: आदेश :::

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज की जाती है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)